

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जून 2017—आषाढ़ 2, शक 1939

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 जून 2017

संशोधन

क्र. एफ 15-15-2006-दस-2.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल 2017 द्वारा वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 6(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का गठन किया गया है।

2. उक्त आदेश के अनुक्रमांक 27 पर दर्शित डॉ. एम. के. रणनीति सिंह, वन्यप्राणी विशेषज्ञ के स्थान पर डॉ. एम. के. रणजीत सिंह, वन्यप्राणी विशेषज्ञ पढ़ा जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संजय मोहरीर, अपर सचिव.